22/11/22 2022/39

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी जरिये हरदीप सिंह बनाम स्टेट

अपील पंचायत प्रकरण सं0 08/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
30.03.2022	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपील उप तहसीलदार चूनावढ के प्रकरण संख्या 02/2022 अनवानी सरकार बनाम गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के विरूद्व पेश की है। प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट को सुने बिना स्थगन दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अतः एक पक्षीय स्थगन की इस्तदुआ अस्वीकार की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 22.04.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	539
22.04.22	बारसंघ द्वारा 'कोर्ट' का बहिष्कार किया गया है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/5/22 को पेश हो।	
16/5/22	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ ... कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 21/6/22 को पेश हो।	
21/6/22	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ... है। पत्रावली दिनांक 24/8/22 को पेश हो।	
24/8/22	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ... है। पत्रावली दिनांक 20/10/22 को पेश हो।	

21/11/23

06/2/24

18/3/24

15.6.24

26.6.24

22/7/24

2.07.2024 अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु निश्चित है, उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलांटा कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है, इस कारण उपरोक्त शिर्षक की पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखगार में जमा कराने का आदेश दिया जाना न्यायेचित है साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण एवं पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो जाने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Not Press
Ramkumar Adv
रामकुमार गोस्वामी
एडवोकेट

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन
श्रीगंगानगर (राजस्थान)